"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल 2017 — चैत्र 15, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–19/2017/वाक/पांच (40). – छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (4) में दी गई निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन, दिनांक 01–04–2017 से 30–06–2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	करमुक्ति की सीमा	निर्बन्धन एवं शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची–दो में वर्णित वस्तुएं, किन्तु निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर :– 1. सीमेंट 2. आयरन–स्टील 3. कोयला 4. डीजल 5. पेट्रोल 6. ल्युब्रीकेन्ट 7. केरोसिन	कर की दर में 0.5 प्रतिशत	(1) जब ऐसे माल का विक्रय पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किसी उपभोक्ता (व्यवसायी को छोड़कर) को किया जाए एवं ऐसे विक्रय के लिए भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी डिजिटल मोड से किया जाएः– (एक) यू.पी.आई. (यूनिफाईड पेमेन्ट इन्टरफेस) एप्स (दो) ए.ई.पी.एस. (आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टम) (तीन) यू.एस.एस.डी. बैंकिंग (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंन्ट्री सर्विस डाटा) (चार) केडिट/डेबिट/प्री–प्रेड कार्ड्स (पॉच) ई–वालेट

	8. दो पहिया, चार पहिया एवं अन्य मोटर वाहन 9. पान मसाला 10. तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद		(छः) आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. (2) डिजिटल मोड द्वारा किये गये भुगतान पर विक्रेता व्यवसायी उपभोक्ता को कर में दी गयी रियायत छूट के रूप में प्रदान करेगा एवं ऐसी छूट की राशि का समायोजन वह उसके द्वारा देय कर की राशि के विरूद्ध कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्रमांक एफ–10–19/2017/वाक/पांच (40). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–19/2017/वाक/पांच (40), दिनांक 31–3–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 19 /2017/CT/V (40). – In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restriction and conditions specified in column (4), for the period from 01-04-2017 to 30-06-2017 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Goods specified in Schedule-II of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), but excluding the following goods :- (i) Cement (ii) Iron-steel (iii) Coal (iv) Diesel (v) Petrol (vi) Lubricant (vii) Kerosene	0.5 percent in rate of taxsss	(1) When such goods are sold by a registered dealer to a consumer (other than a dealer) and payment of such sale is made through any of the following digital mode :- (i) UPI (Unified Payment Interface) Apps (ii) AEPS (aadhar-enabled payment-system) (iii) USSD Banking (Unstructured Supplementary Service Data) (iv) Credit/Debit/Prepaid Cards (v) E-Wallets (vi) RTGS & NEFT

	(viii) Two wheeler, Four Wheeler and other motor vehicle (ix) Pan masala (x) Tobacco & Tobacco products		(2) The selling dealer shall provide the amount of concession in tax to the consumer as discount towards payment made through digital mode and he shall be entitled to adjust such amount against tax payable by him.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.